

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.2011/टेली/11 (13)/1

नई दिल्ली, 11.05.2012

दूरसंचार परिपत्र सं.03/2012

महाप्रबंधक/सभी भारतीय रेलें  
सभी उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद,  
महानिदेशक/अअमासं एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, आईजी/आरपीएफ,  
मु.प्र.अ./कॉफमो, डीसीडब्ल्यू, आईआरपीएमयू और  
छपरा, रायबरेली की नई उत्पादन इकाइयां,  
निदेशक/इरीसेट, इरीसेन, इरीन, इरीमी, इरीटेम,  
अध्यक्ष, सभी रेल भर्ती बोर्ड.

**विषय:** रेलों में टेलीकॉम चैनलों को किराए पर लेना।

**संदर्भ:** (i) बोर्ड का दिनांक 08.09.2011 का समसंख्यक पत्र

(ii) दक्षिण मध्य रेलवे का दिनांक 18.01.2012 का  
पत्र सं.एसजी.208/1/5 वॉल.7.

यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 08.09.2011 के समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों जिनमें विधिवत् कार्यविधि अपनाकर लागत, उपलब्धता, विविधता और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए किसी भी सेवा प्रदाता से कोई भी टेलीकॉम चैनल किराए पर लेने के लिए रेलों को प्राधिकृत किया गया है, को रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति प्राप्त है। यह भी सूचित किया जाता है कि टेलीकॉम चैनलों को सह वित्त के परामर्श से ही किराए पर लिया जाए।

2. इससे दक्षिण मध्य रेलवे के दिनांक 18.01.2012 के पत्र सं.एसजी.208/1/5 वॉल.7 का निपटान हो जाता है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(राकेश रंजन)

निदेशक/दूरसंचार

फैक्स: 011-23304690, 030-44690

ई-मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

सं.2011/टेली/11 (13)/1

नई दिल्ली, 11.05.2012

**प्रतिलिपि:**

- (i) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें
- (ii) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)



कृते वित्त आयुक्त/रेलें

**प्रतिलिपि:**

- (i) एफ (एक्स) II एवं बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड
- (ii) सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें
- (iii) प्रबंध निदेशक/रेलटेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु